भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *170
16.03.2023 को उत्तर के लिए

खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग
को प्रयोग किए जाने का स्वास्थ्य पर प्रभाव

***170. श्री कार्तिकेय शर्मा :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग के उपयोग का चलन तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में कितनी मात्रा में प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग किया गया है, तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का यह मानना है कि भोजन की पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने या कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने आम जनता को इसके नुकसानों से अवगत कराने के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया है, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग को प्रयोग किए जाने का स्वास्थ्य पर प्रभाव' के संबंध में श्री कार्तिकेय शर्मा, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 16.03.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *170 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान देश में सृजित प्लास्टिक अपशिष्ट का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	सृजित प्लास्टिक अपशिष्ट (टीपीए)
1	2017-18	660,787
2	2018-19	3,360,043
3	2019-20	3,469,780

दिनांक 16 फरवरी, 2022 को अधिसूचित प्लास्टिक पैकेजिंग हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्तमान में प्लास्टिक पैकेजिंग संबंधी केंद्रीकृत ऑनलाइन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल पर कुल 6186 उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक पंजीकृत किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में, पंजीकृत उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक (पीआईबीओ) ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत समेकित रूप से लगभग 2.32 मिलियन टन प्लास्टिक पैकेजिंग की है, जिसमें भोजन की पैकेजिंग हेतु प्रयुक्त प्लास्टिक पैकेजिंग भी शामिल है।

(ग) और (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य वस्तुओं के लिए तथा उनके विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के निपटान के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करता है ताकि मनुष्यों के उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें प्लास्टिक सहित विभिन्न भोजन पैकेजिंग सामग्रियों के लिए सामान्य एवं विशिष्ट अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। इन विनियमों में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कागज, कांच, धातुओं और प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग के लिए किया जाता है, तो उनका विनिर्माण जीएमपी तथा विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा, प्लास्टिक मूल की पैकेजिंग सामग्री के लिए निर्धारित समग्र स्थानांतरण सीमाओं और विशिष्ट स्थानांतरण सीमाओं के भीतर रहना आवश्यक है।

एफएसएसएआई द्वारा खाद्य एवं पेय उद्योग को उनके प्लास्टिक फुटप्रिंट में कमी लाने हेतु सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित विनियामक उपाय किए गए है:- (i) खाद्य पैकेजिंग सामग्री के रूप में बांस के उपयोग हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; (ii) कुछ शर्तों के अधीन होटल परिसरों के भीतर अंदरूनी (कैप्टिव) उपयोग हेतु कागज से सील की गई पुन: उपयोग योग्य कांच की बोतलों में पेयजल उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई है; (iii) कृत्रिम रूप से मीठे बनाए गए पेय पदार्थों के पैकेजिंग हेतु वापस करने योग्य बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध हटाया गया है; (iv) पेयजल की पैकेजिंग के दौरान पीईटी बोतलों में तरल नाईट्रोजन डोजिंग के उपयोग की अनुमति दी गई है; (v) पेयजल की पैकेजिंग हेतु प्लास्टिकों, जिनका वर्तमान में उपयोग किया जाता है, को छोड़कर अन्य खाद्य श्रेणी की पैकेजिंग सामग्रियों के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है; (vi) ईट राइट इंडिया पहल के भाग के रूप में

जैव-अवक्रमणीय पैकेजिंग को बढ़ावा दिया गया है और खाद्य व्यापार में प्लास्टिकों के प्रयोग में कमी लाने को प्रोत्साहित किया गया है।

प्लास्टिक पैकेजिंग संबंधी ईपीआर दिशानिर्देशों में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य पैकेजिंग अनुप्रयोगों के लिए यथानिर्धारित विनियमो के अधीन कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन: उपयोग को अधिदेशित किया गया है। ईपीआर दिशानिर्देशों में संधारणीय प्लास्टिक पैकेजिंग को भी बढ़ावा दिया गया है और इस प्रकार प्लास्टिक फुटप्रिंट में कमी लाई गई है।

इसके अलावा, प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिकों के विकल्पों को तैयार करने हेतु, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट-अपों तथा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए "इंडिया प्लास्टिक चैलेंज-हैकाथन 2021" आयोजित किया गया। दो स्टार्ट-अपों, जिन्होंने वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्री विकसित की, को पुरस्कृत किया गया। एक स्टार्ट-अप ने धान की पराली अवशेष से थर्मोकोल का पूर्णत: जैव-अवक्रमणीय विकल्प तैयार किया। अन्य स्टार्ट-अप ने समुद्री शैवाल का उपयोग करके पैकेजिंग सामग्री विकसित की।

(ड.) केंद्रीय सरकार विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा एकल उपयोग प्लास्टिकों के प्रयोग की समाप्ति के संबंध में जन-जागरूकता सृजित करने के कार्य में शामिल रही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2022 को **प्रकृति-शुभंकर** की शुरूआत की गई थी। एकल उपयोग प्लास्टिकों के प्रयोग की समाप्ति के संबंध में **प्रकृति** के तीन वीडियो तैयार किए गए हैं। इन वीडियो का 19 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और आगे प्रचार-प्रसार हेतु उन्हें राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। सभी सूचना सामग्रियों और वीडियो के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा हितधारकों द्वारा उपयोग हेतु उपलब्ध कराने के लिए समस्त जागरूकता संबंधी सामग्री के साथ एक समर्पित वेबपृष्ठ तैयार किया गया है। नागरिकों में जन-आंदोलन की भावना सृजित करने हेतु माईगव (My Gov) प्लेटफॉर्म पर स्वच्छ भारत हरित भारत हरित शपथ के संबंध में एक ई-शपथ अभियान संचालित किया गया। दिनांक 01 जुलाई, 2022 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक माह तक चलने वाला एक अखिल भारतीय जागरूकता अभियान चलाया गया। दिनांक 26-27 सितंबर, 2022 को चेन्नै में तमिलनाड़ सरकार के साथ संयुक्त रूप से प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पारि-अनुकूल विकल्पों के संबंध में एक राष्ट्रीय एक्सपो तथा स्टार्ट-अपों का सम्मेलन-2022 आयोजित किया गया। देश भर से पारि-अनुकूल विकल्पों के 150 से अधिक विनिर्माताओं ने इस एक्सपो में हिस्सा लिया। ये पारि-अनुकूल विकल्प नारियल के रेशे, खोई, धान और गेंहू के भूसे, पौध एवं कृषि अवशेष, केले और सुपारी के पत्तों, पटसन तथा कपड़े से तैयार किए गए थे।

******